तसमें तुम्हारे पक्ष में आदेश होने के बाद ही मैं मौके पर जाकर पत्थरगढ़ी करा सकता हूं। इस बारे में मैंने कलेक्टर साहब को भी लिख दिया है। इस पर प्रार्थीगण पुनः दिनांक 14.06.2019 को जिला कलेक्टर साहब से मिला तो उन्होंने बताया कि तहसीलदार वजीरपुर ने उपजिला कलेक्टर गंगापुरसिटी के यहां मुकदमा करने को कहा है। इसलिये आप उपजिला कलेक्टर गंगापुरसिटी में जाकर पत्थरगढ़ी कराने के लिये मुकदमा करो, वहां से आदेश होने के बाद ही पत्थर गढ़ी हो सकेगी। इसलिये प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी व सीमाज्ञान पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर भूमि ख0नं0 1819/1771 रकबा 1.20 हेक्टर व 1823/887 रकबा 0.60 हेक्टर, ग्राम बडौली तहसील वजीरपुर का मौके पर पर जाकर सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करने के आदेश तहसीलदार वजीरपुर को दिये जावें। तहसीलदार वजीरपुर को लिखा जावें कि यह आवश्यकता हो तो पुलिस इमदाद लेकर मौके पर जाकर स्वंय विवादित भूमि को पत्थरगढ़ी करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण, उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं के अनुसार बहस की एवं निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर भूमि ख0नं0 1819/1771 रकबा 1.20 हेक्टर व 1823/887 रकबा 0.60 हेक्टर, ग्राम बडौली तहसील वजीरपुर का मौके पर पर जाकर सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करने के आदेश तहसीलदार वजीरपुर को दिये जावें। तहसीलदार वजीरपुर को लिखा जावें कि यह आवश्यकता हो तो पुलिस इमदाद लेकर मौके पर जाकर स्वंय विवादित भूमि को पत्थरगढ़ी करावें।

हमने वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस का मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन पर पाया कि प्रार्थी का केस प्रमाणित है। अतः मैं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। एवं तहसीलदार वजीरपुर को आदेश दिया जाता है कि भूमि ख0नं0 1819/1771 रकबा 1.20 हेक्टर व 1823/887 रकबा 0.60 हेक्टर, ग्राम बडौली तहसील वजीरपुर पर किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो खसरा नं. 1819/1771 रकबा 1.20 हेक्टर व 1823/887 रकबा 0.60 हेक्टर, ग्राम बडौली तहसील वजीरपुर का मौके पर पर जाकर सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 25/5/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जवाहर लाल जैन)
उप जिला कलेक्टर
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (स.मा.)